राजस्थान सरकार
आयोजना विभाग

क्रमांक–एफ17(1)/1/भामाशाह/डीईएस/2014/पार्ट–॥ दिनांक– 25.09.2015

जिला कलेक्टर एवं जिला भामाशाह प्रबंधक,
समस्त राजस्थान।

विषयः – भामाशाह योजना के सर्वेक्षण, सीडिंग इत्यादि का कार्य पंचायत स्तरीय सभी कर्मचारियों से करवाने बाबत्।

महोदय,

जैसा कि आपको विदित है भामाशाह योजना से संबंधित कार्य यथा नामांकनों का सत्यापन, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के लिए सर्वेक्षण, सीडिंग संबंधी आपत्ति निवारण एवं अन्य संबंधित कार्य एक ग्राम पंचायत के कार्यक्षेत्र में कार्यरत समस्त कर्मचारियों जैसे ग्राम सेवक, पटवारी, ग्राम रोजगार सहायक, कनिष्ठ लिपिक, कृषि पर्यवेक्षक इत्यादि का संयुक्त उत्तरदायित्व है।

कतिपय जिलों से यह सूचना प्राप्त हुई है कि कुछ विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों से अपेक्षित सहयोग नहीं प्राप्त होने के कारण उन स्थानों की प्रगति पर विपरीत प्रभाव पडा है। अतः आप उक्त कार्यो को ग्राम सेवक, पटवारी, ग्राम रोजगार सहायक, कनिष्ठ लिपिक, कृषि पर्यवेक्षक इत्यादि का संयुक्त दल बनाकर संपन्न करवाने का प्रयास करें ताकि कार्य की प्रगति और गुणवत्ता दोनों बढाई जा सके।

भवदीय

(अखिल अरोरा)
शासन सचिव, आयोजना

क्रमांक–एफ17(1)/1/भामाशाह/डीईएस/2014/पार्ट–॥ दिनांक– 25.09.2015

प्रतिलिपिः–

1 अतिरिक्त जिला कलेक्टर, समस्त जिला.............
2 एसीपी (उपनिदेशक), सूचना, प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, समस्त जिला........
3 सहायक/उपनिदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, समस्त जिला.............
4 उपखण्ड/विकास अधिकारी, समस्त जिला.............

(ओम प्रकाश बैरवा)
निदेशक एंव संयुक्त शासन सचिव